

कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी

पत्रांक:- 487 / 12-1 दिनांक, पौड़ी, अगस्त, 11 ,2016.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय:--

जनपद पौड़ी गढ़वाल में विकासखण्ड—थलीसैंण के अन्तर्गत गडसारी—कुल्याणी मोटर मार्ग हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। Proposal No. FP/UK/ROAD/10588/2015 प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी का पत्रांक 527 / 12—1 दिनांक 09.08.2016.

संदर्भः— महोदय,

उपयुक्त विषयक प्रकरण में वांच्छित आपत्तियों का निराकरण प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी द्वारा

किया गया है जो निम्न प्रकार हैं:-

किया गया है जो निम्न प्रकार हैं:	
Question	Answer
1. Short narrative of the project does not give adequate information	प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी द्वारा भाग-1
in Part I.	के बिन्दु A के III में सही कर दिया गया है।
2. Village wise break up is not provided in correct form in Part I.	प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी द्वारा भाग-1
	के बिन्दु B के B.2 के B.2.3 में सही कर दिया गया है।
3. Total period for which forest land to be diverted is not mentioned	प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी द्वारा भाग-1
in Part I.	के बिन्दु A के (x) में ऑन लाईन सही कर दिया गया है।
4.In the component wise break up in Part I, mentioned	प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी द्वारा बिन्दु
"TWO" which is not clear.	बी–बी.2.4 में ऑन लाईन सही कर दिया गया है।
5.GPS coordinate marked digitally on GIS software generated	प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी द्वारा भाग-1
georefrenced map for the area proposed for diversion in 200-300m	के बिन्दु सी-(iv) में ऑन लाईन सही कर दिया गया है।
distance and each turn of the proposed road and be uploaded in the	
designated place in Part . 6.In the SoI toposheet uploaded in Part I, the starting point and end	प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी द्वारा भाग-1
point is not marked.	
	के बिन्दु C के (iii) में ऑन लाईन सही कर दिया गया है। प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी द्वारा भाग-1
7.GPS coordinate marked digitally on georefrenced map for every corner of land proposed for CA is not provided.It should be	[[[사이를 가입니다 이 사람들은 다른 사람들은 사람들이 되었다. 그리고 있는 사람들이 되었다. 그리고 있는 사람들이 되었다.
uploaded in the designated place in Part I.	के बिन्दु L के (V) में ऑन लाईन सही कर दिया गया है।
8.CA stipulation is not commensurate with the total forest land	प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी द्वारा पार्ट-2
diverted in the district in Part II need justification and correction.	के Additional information details के क.सं. 1 पर
	अपलोड कर दी गई है, तथा ऑन लाईन बिन्दु संख्या 14 के
	District Profile में भी सही कर दिया गया है।
9. The 77 trees per hectare do not account for 0.4 density and the	प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी द्वारा पार्ट-।।
NPV calculation is also done for dense forest which needs review.	के Additional Information Detials में बिन्दु संख्या 7
The State Govt may review the density and NPV and furnish	से 11 तक एक बिट बनाकरण आपत्तियों का निराकरण कर
revised density and NPV	दिया गया है।
calculation.	- - - -
10.In the SIR report of the DFO, coments on all points arenot done. SIR report, covering reply onall pointsmay be rovided.	
11.Part I, II, III, IV and V which is provided in online web portal	
for the proposal may also be enclosed with the hard copy for	Hard Copy Provided by nodal office.
further necessary action.	The sopi rioised of noun officer

संलग्नक:-

उपरोक्तानुसार।

(जीoक़ेश्स्तोगी) वन संरक्षक

गढ़वाल दुत्तः उन्तराखण्ड,पौड़ी।

Surjeet

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी

पत्रांकः

सेवा में.

वन संरक्षक,

गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड, पौड़ी।

Proposal No. FP/UK/ROAD/10588/2015

जनपद पौड़ी गढ़वाल में विकासखण्ड-थलीसैंण के अन्तर्गत गडसारी-कुल्याणी मोटर मार्ग हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

महोदय,

जनपद पौड़ी गढ़वाल में विकासखण्ड-थलीसैंण के अन्तर्गत गडसारी-कुल्याणी मोटर मार्ग का निम्न एकार आएकियों का निराकरण कर दिया गया है-

Question	Answer
1. Short narrative of the project does not give adequate information in Part I.	प्रस्तावक विभाग ने भाग-1 के बिन्दु A के III में सही कर दिया गया है।
2. Village wise break up is not provided in correct form in Part I.	प्रस्तावक विभाग ने भाग-1 के बिन्दु B के B.2 के B.2.3 में सही कर दिया गया है।
3. Total period for which forest land to be diverted is not mentioned in Part I.	प्रस्तावक विभाग ने भाग-1 के बिन्दु A के (x) में ऑन लाईन सही कर दिया गया है।
4.In the component wise break up in Part I, mentioned "TWO" which is not clear.	प्रस्तावक विभाग ने भाग-1 के बिन्दु बी-बी.2.4 में ऑन लाईन सही कर दिया गया है।
5.GPS coordinate marked digitally on GIS software generated georefrenced map for the area proposed for diversion in 200-300m distance and each turn of the proposed road and be uploaded in the designated place in Part.	प्रस्तावक विभाग ने भाग-1 के बिन्दु सी-(iv) में ऑन लाईन सही कर दिया गया है।
6.In the SoI toposheet uploaded in Part I, the starting point and end point is not marked.	प्रस्तावक विभाग ने भाग-1 के बिन्दु C के (iii) में ऑन लाईन सही कर दिया गया है।
7.GPS coordinate marked digitally on georefrenced map for every corner of land proposed for CA is not provided. It should be uploaded in the designated place in Part I.	प्रस्तावक विभाग ने भाग-1 के बिन्दु L के (g) में ऑन लाईन सही कर दिया गया है।
8.CA stipulation is not commensurate with the total forest land diverted in the district in Part II need justification and correction.	बिन्दु संख्या 4 इस वन प्रभाग द्वारा पार्ट—2 के Additional information details के क.सं. 1 पर अपलोड कर दी गई है, तथा ऑन लाईन बिन्दु संख्या 14 के District Profile में भी सही कर दिया गया है।
9. The 77 trees per hectare do not account for 0.4 density and the NPV calculation is also done for dense forest which needs review. The State Govt may review the density and NPV and furnish revised density and NPV calculation.	इस वन प्रभाग द्वारा पार्ट-।। के Additional Information Detials में बिन्दु संख्या 7 से 11 तक एक बिट बनाकरण आपत्तियों का निराकरण कर दिया गया है।
10.In the SIR report of the DFO, coments on all points arenot done. SIR report, covering reply onall pointsmay be rovided.	-4-
11.Part I, II, III, IV and V which is provided in online web portal for the proposal may also be enclosed with the hard copy for further necessary action.	—ऐ— Hard Copy Provided by nodal office.

अतः महोदय से अनुरोध है कि प्रस्ताव को अपने स्तर से ऑन लाईन भेजन का

कष्ट करें।

(रमेश चन्द्र) प्रभागीय वनाधिकारी, बाल वन प्रभाग पौडी।